न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद सं0 33/2001 (59/2019)

रामस्वरूप मृतक जरिये वारिसान व अन्य

बनाम

शिव कुमार व अन्य

निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते प्रकरण की कार्यवाही को ड्रॉप कर प्रकरण का निस्तारण किये जाने बाबत्

दिनांकः 22/03/2022

उपस्थितः श्री सुण्डाराम जाट वादीगण अभिभाषक

श्री डी0सी0 सेठी प्रतिवादी अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र दिनांक 22.02.2021 को वादीगण द्वारा वास्ते पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.03.2021 से आज ही तलब कर प्रकरण की कार्यवाही को ड्रोप कर प्रकरण का निस्तारण किये जाने बाबत् न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रकरण के संबंध में पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है। न्यायालय द्वारा स्वतः पुनः विचार करते हुए पूर्व लम्बित वाद संख्या 13/1993 के संबंध में प्रार्थना पत्र दर्ज कर दिनांक 09.07.2001 को ऑडरशीट अंकित की गयी थी जिसमें आगामी पेशी दिनांक 20.07.2001 की गयी थी जिसके पश्चात् से उक्त प्रकरण आज तक विचाराधीन है। उक्त प्रकरण के संबंध में एक निगरानी याचिका संख्या 180/2001 (5671/2001) जिला अजमेर रामस्वरूप जोशी व अन्य बनाम शिवकुमार व अन्य प्रस्तुत की गयी थी। उक्त निगरानी को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 11.09.2015 को प्रकरण निगरानी योग्य नही होने से खारिज कर दी गयी। इस प्रकार माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.09.2015 के अनुसार भी माननीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.12.2000 को यथावत् रखा गया है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण के संबंध में कोई कार्यवाही शेष नही रही है। इस आधार पर उक्त प्रकरण संख्या 33/2001 (59/2019) की कार्यवाही को आगे चलाने का कोई विधिक औचित्य नही है। विवादग्रस्त भूमि से संबंधित राजस्व वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.05.05 11:08:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

संख्या 13/93 दावा अबैट किये जाने के आधार पर दिनांक 23.01.2002 को दावा अबैट हो जाने के आधार पर खारिज किया जा चुका है। इसलिए भी इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नही है। न्यायालय हाजा के राजस्व वाद संख्या 23/95 के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.12.2000 के विरूद्व प्रतिवादी शिवकुमार ने एक अपील डिक्री राजस्व अपील अधिकारी अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की थी। जिसका उनवान शिवकुमार वगै0 बनाम मृतक रामस्वरूप वगै0 है जिसका अपील संख्या 175/2015 (2015/00117) है। उक्त अपील दिनांक 12.11.2018 को निरस्त की जा चुकी है। इस आधार पर भी न्यायालय के वाद संख्या 23/95 के अन्तर्गत वादीगण के पक्ष में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.12.2000 यथावत रखा गया है। चूंकि न्यायालय के राजस्व वाद सं0 23/95 की डिक्री दिनांक 06.12.2000 यथावत है, इसलिये उक्त प्रकरण में कोई आगामी कार्यवाही शेष नहीं है। इस आधार पर प्रकरण को आगे चलाने का कोई विधिक औचित्य नही है। अतः वादीगण द्वारा वादीगण का उक्त प्रार्थना पत्र वास्ते कार्यवाही को ड्रोप किये जाने बाबत् को स्वीकार कर उक्त प्रकरण संख्या 33/2001 (59/2019) की कार्यवाही को उक्त वर्णित समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर ड्रोप किये जाने तथा प्रकरण का इसी अनुसार निस्तारण किये जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया।

3. प्रतिवादी शिवकुमार द्वारा वादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का दिनांक 30.03.2021 को जवाब पेश करते हुए एक प्रार्थना वास्ते दिनांक 22.02.2021 की कार्यवाही पर ध्यान आकर्षित करने के लिये धारा 151 सी0पी0सी0 व संशोधित शीर्षक के साथ पेश प्रार्थना पत्र की नकल दिलाने बाबत् पेश कर जवाब में निवेदन किया कि वादीगण का प्रार्थना पत्र कानून के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत है। पक्षकारों के बीच सहमती का कोई राजीनामा नहीं हुआ है और पूर्व निर्णय डिक्री भ्रष्टाचार के षड़यंत्र पर सत्यता से परे होने के कारण ही न्यायालय ने धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सहारा लेना चाहता है और किसी भी न्यायालय ने न्यायालय के धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही को खारिज नहीं किया है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने स्वस्थ चित्त मस्तिष्क से वादीगण द्वारा सत्यता को छिपाते हुए डिक्री प्राप्त कि गई है ये सारे तथ्य पूर्व लम्बित वाद संख्या 13/93 कि पत्रावली का गहन अध्ययन करने पर [illegible] प्राप्त होगी और दावा संख्या 13/93 का दावा वा[illegible] जाने का निर्णय स्वयं वादीगण के लिए घातक है तथा धा[illegible] अधिनियम कि कार्यवाही पर कोई निर्णय नही दिया है मात्र अपील अदम पैरवी में [illegible]रिज हुई और वर्तमान में पुनः नम्बर की

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.05.05 11:08:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

कार्यवाही पर है। अतः वकील प्रतिवादी द्वारा वादीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रार्थना पत्रं पर वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

4.1 प्रतिवादी की ओर से वकील श्री डी0सी0 सेठी द्वारा दिनांक 06.09.2021 को लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि मुकदमा नम्बर 23/1995 के आदेश दिनांक 09.07.2001 के धारा 229 आर0टी0ए0 के आदेश में न्यायालय का मस्तिष्क का उपयोग हो चुका है की मुकदमा नम्बर 23/1995 निर्णय दिनांक 06.12.2000 के आदेश डिक्री में धोखा, फरेब, आपराधिक, षड़यंत्र व आपराधिक लापरवाही व फर्जी तामील कार्यवाही हुई है और न्यायालय को गुमराह करते हुए अनेक त्रुटियां वादी ने अपने निर्णय करने हेतु कई सत्य तथ्य छुपाये गये। पत्रावली मुकदमा नम्बर 23/1995 के आदेश डिक्री कार्यवाही में न्यायालय पूर्व अधिकारी ने वादी रामस्वरूप वगै0 ने व उनके अभिभाषक ने कई वैधानिक त्रुटियां कर संविधान द्वारा निर्मित सभी कानूनों को ताक में रखकर व दिवानी प्रक्रिया संहिता व आर0टी0ए0 व सम्पत्ति हस्तान्तरण व साक्ष्य अधिनियम व अन्य कानूनो का घोर उल्लंघन किया है। मुकदमा नम्बर 23/1995 की डिक्री षड़यंत्र धोखापूर्वक प्राप्त की गई है। मुकदमा नम्बर 23/1995 के विरूद्ध भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में ही दिनांक 10.05.1983 से मुकदमा नम्बर 35/1883 जिसके नये नम्बर 13/1993 है के विचाराधीन रहते हुए उसके प्रतिवादीगण रामस्वरूप वगै0 ने षड़यंत्र पूर्वक नया दावा पेश कर अवैध व शुन्य डिक्री षड़यंत्र पूर्वक प्राप्त की, जो खारिज योग्य है। उक्त विवाद भूमि में प्रतिवादी शिवकुमार मात्र अकेला खातेदार था और मुकदमा नम्बर 23/1995 में न्यायालय कर्मचारियों से मिलकर बिना आदेश के दिनांक 24.07.1995 ए0डी0 से सूचना कार्यवाही शिवकुमार को करवाई बताई और बिना न्यायालय आदेश के ए0डी0 कार्यवाही षड़यंत्र का प्रतीक है और शिवकुमार के खिलाफ षड़यंत्र का प्रतीक है और अवैध तरीके से घटना सिद्ध होती है। जबकि मुकदमा नम्बर 13/1995 में वाद शीर्षक में शिवकुमार को वर्तमान निवासी बान्दरसिन्दरी बताया गया है तथा मुकदमा नम्बर 23/1995 के प्रतिवादी शिवकुमार को फर्जी तामिली में बिना न्यायालय आदेश के ए0डी किसने करवाई व उक्त ए0डी0 के ... में किसने खाली कागज या सम्मन डाले और सम्मन किसने भरे यह पत्रावली को देखकर स्वयं पुष्टीकरण करवाई व उक्त ए0डी0 के लिफाफे में किसने खाली ... या सम्मन डाले और सम्मन किसने भरे यह पत्रावली को देखकर स्वयं पुष्टी... करे की यह फर्जीवाड़ा किसके माध्यम से हुआ। अतः पत्रावली के अध्ययन से यह सिद्ध हो रहा है कि दीवानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.05.05 11:08:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

प्रकिया संहिता के तामिली कानून के आवश्यक प्रावधानों का षड़यंत्र पूर्वक उल्लंघन किया गया है। अतः 23/1995 की डिक्री आदेश खारिज योग्य है। ए0डी0 रसीद व सम्मन कहां है इस पर जांच होनी चाहिये। भारतीय कानून में प्रथम वाद प्रतिवाद मान्य है और षड़यंत्र पूर्वक किये गये दूसरे वाद व निर्णय डिक्री आदेश शून्य है। मुकदमा नम्बर 13/1993 में शिवकुमार ने जवाब दावा व प्रतिदावा पेश किया है, यह दावा किसी प्रतिवादी की मृत्यु होने पर कानूनन किसी भी हालात में अबेट नहीं हो सकता है। लेकिन न्यायालय ने रामस्वरूप द्वारा व कर्मचारियों द्वारा किये गये षड़यंत्र से बचने के लिये और अपने पूर्व में किये गये अवैध कृत्य से बचने के लिये दिनांक 23.01.2002 मुकदमा नम्बर 13/1993 में बहस सुनकर प्रतिवादी की मृत्यु पर दावा अबेट कर दिया। यह आदेश अवैध व शून्य है। नियम विपरित है। हालांकी इस आदेश से शिवकुमार प्रतिवादी होने से खुश हुआ। इस अबेट आदेश से पूर्व न्यायालय व वकील वादी को ज्ञात था कि विवाद भूमि की खातेदारी रामस्वरूप वगै0 को मुकदमा नम्बर 23/1995 में दी जा चुकी है और अबेट आदेश का कोई उद्देश्य नहीं है और रामस्वरूप वगै0 व उनके अभिभाषक ने अबेट बहस में इस तथ्य को छुपाया। दोनो पत्रावलियों का गहनता पूर्वक अध्ययन करने पर यह वर्तमान न्यायालय की राय बनना सम्भव है कि उक्त धोखा पूर्वक बनाई गई डिक्री कार्यवाही में पूर्व अधिकारी, कर्मचारी अभिभाषक व वादी रामस्वरूप वगै0 के उक्त अविधिक कृत्य संज्ञान में था। अगर यह पाया जाता है तो उनके खिलाफ धारा 340 सी0आर0पी0सी0 कार्यवाही व ए0सी0बी0 से जांच कराना यदि न्यायालय उचित समझे तो कराने का निवेदन किया। अतः वकील प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त बहस के आधार पर न्यायालय धारा 229 आर0टी0ए0 में प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मुकदमा नम्बर 23/1995 में षड़यंत्र पूर्वक धोखे से विपरित कानून डिक्री आदेश को निरस्त कर स्थगित कर अवैध शून्य मानते हुए निर्णित करने व उक्त धोखा, षड़यंत्र, आपराधिक, घोर लापरवाही के लिए धारा 340 सी0आर0पी0सी0 की कार्यवाही व ए0सी0बी0 से जांच कराने का निवेदन किया।

4.2 वादीगण की ओर से वकील श्री सुण्डाराम जाट द्वारा अपनी लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से लिखित बहस के पैरा संख्या 1 में अंकित समस्त कथन जिस प्रकार लिखे गये है व न्यायिक दृष्टांत है जो उक्त प्रकरण के अभिवचनों, तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्य पर कतई चस्पा नही होता है। उक्त न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न तथ्यों पर आधारित है तथा उक्त प्रकरण से सुसंगत नही होने से उक्त प्रकरण में लागू नही होता है एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.05.05 11:08:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से लिखित बहस के पैरा संख्या 2 में अंकित समस्त कथन जिस प्रकार लिखे गये है गलत होने से अस्वीकार है। यह कथन भी अस्वीकार है कि प्रार्थना मुकदमा नम्बर 23/2001 के आदेश दिनांक 09.07.2001 के धारा 229 आर.टी.ए. के आदेश में न्यायालय का मस्तिष्क का उपयोग हो चुका हो। शेष समस्त कथन जिस प्रकार लिखे गये है गलत होने से अस्वीकार है। जबकि वस्तुस्थित यह है कि वादग्रस्त भूमि से संबंधित राजस्व वाद संख्या 13/1993 दावा अबैट किये जाने के आधार पर दिनांक 23.01.2002 को दावा खारिज किया जा चुका है। इसलिए भी इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं है तथा न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ के राजस्व वाद संख्या 23/1995 के निर्णय एवं डिकी दिनांक 06.12.2000 के विरूद्व प्रतिवादी शिवकुमार ने एक अपील डिकी माननीय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की थी। उक्त अपील संख्या 175/2015 (2015/00217) दिनांक 12.11.2018 को निरस्त/खारिज हो चुकी है। इस आधार पर भी माननीय न्यायालय के राजस्व वाद संख्या 23/1995 के अन्तर्गत वादीगण के पक्ष में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 06.12.2000 यथावत रखा गया है तथा उक्त प्रकरण के संबंध में एक निगरानी याचिका संख्या 180/2001 (5671/2001) जिला अजमेर रामस्वरूप जोशी व अन्य बनाम शिवकुमार व अन्य प्रस्तुत की गयी थी। जिसके अन्तर्गत माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा उक्त दिनांक 11.09.2015 को प्रकरण के संबंध में केवल नोटिस जारी किये जाने के आदेश के विरूद्व धारा 230 के अन्तर्गत प्रकरण निगरानी योग्य नहीं होने से उक्त निगरानी याचिका खारिज कर दी गयी। इस प्रकार माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 11.09.2015 के अनुसार भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.12.2000 को यथावत् रखा गया है तथा किसी भी पक्षकार की ओर से कोई भी वाद एवं अपील विचाराधीन नही है। वर्तमान में किसी भी न्यायालय का कोई भी स्थगन आदेश विचाराधीन नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से लिखित बहस के पैरा संख्या 3 में अंकित समस्त कथन जिस प्रकार लिखे गये है गलत होने से पूर्णतया अस्वीकार है। प्रतिवादी शिवकुमार के अधिवक्ता ने उक्त पैरा में अंकित समस्त कथनों के संबंध में एक भी दस्तावेजी साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं की गयी है। इसलिए उक्त पैरा में अंकित समस्त कथन प्रतिवादी अधिवक्ता ने केवल मात्र स्वयं की मर्जी से निराधार तथ्यों के आधार पर अंकित किया गया है जो दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी अधिवक्ता बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य का आधार लिये माननीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.05.05 11:08:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं माननीय न्यायालय आदि पर स्वयं की मनमर्जी से झूठे एवं गलत आरोप लगा रहे है। यहां पर यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रतिवादी का उक्त दावा अबैट हो जाने पर प्रतिवादी के पास उक्त आदेश को चुनौती देने का मार्ग खुला था लेकिन प्रतिवादी को यह पूर्ण सम्भावना थी कि उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी को कोई रिलिफ नहीं मिल सकती इसलिए उक्त आदेश को आज दिन तक जानबूझकर चुनौती आदि नहीं दी गयी है। इसलिए प्रतिवादी द्वारा लिखित बहस के माध्यम से लगाये गये समस्त झूठे आरोप स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से लिखित बहस के पैरा संख्या 12 में अंकित समस्त कथनों के संबंध में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उक्त प्रकरण से सुसंगत नही होने से तथा उक्त प्रकरण पर चस्पा नही होने से उक्त प्रकरण पर लागू नही होते है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस के पैरा संख्या 13, 14 में अंकित समस्त कथन जिस प्रकार लिखे गये है गलत होने से पूर्णतया अस्वीकार है। प्रतिवादी शिवकुमार अधिवक्ता की ओर से उक्त पैराओं के संबंध में कोई भी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं की गयी है। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से लिखित बहस के पैरा संख्या 15 व प्रार्थना लिखित बहस में अंकित समस्त कथन जिस प्रकार लिखे गये है गलत होने से पूर्णतया अस्वीकार है। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि उक्त प्रकरण के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा स्वतः पुनः विचार करने हेतु पूर्व लम्बित वाद संख्या 13/93 के संबंध में प्रार्थना पत्र दर्ज कर दिनांक 09.07.2001 को ऑडरशीट अंकित की गयी। जिसके अन्तर्गत आगामी पेशी दिनांक 20.07.2001 अंकित कर नियत की गयी थी। इसके पश्चात् से उक्त प्रकरण आज तक विचाराधीन है। उक्त प्रकरण के संबंध में एक निगरानी याचिका संख्या 180/2001 (5671/2001) जिला अजमेर रामस्वरूप जोशी व अन्य बनाम शिवकुमार व अन्य प्रस्तुत की गयी थी। जिसके अन्तर्गत माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा उक्त दिनांक 11.09.2015 को प्रकरण कें संबंध में केवल नोटिस जारी किये जाने के आदेश के विरूद्ध धारा 230 के अन्तर्गत प्रकरण निगरानी योग्य नही होने से उक्त निगरानी याचिका खारिज कर दी गयी। इस प्रकार माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 11.09.2015 के अनुसार भी माननीय न्यायालय के निर्णय एवं डिकी दिनांक 06.12.2000 को यथावत् रखा गया है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण के संबंध में कोई कार्यवाही शेष नही रही है। इस आधार पर उक्त प्रकरण संख्या 33/2001 (59/2019) की कार्यवाही को आगे चलाने का कोई विधिक औचित्य नही है। इस

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.05.05 11:08:53 IST
Reason: SelfAttested

आधार पर उक्त प्रकरण की कार्यवाही का निस्तारण किये जाने का आदेश प्रदान करावें यहां पर यह भी उल्लेख किया जाना उचित है कि प्रतिवादी शिव कुमार की ओर से उक्त वाद संख्या 23/95 निर्णय दिनांक 06.12.2000 के विरूद्व एक अपील न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसका अपील संख्या 175/2015 अनुवान शिवकुमार बनाम रामस्वरूप व अन्य है उक्त अपील भी माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा दिनांक 12.11.2018 को खारिज की जा चुकी है तथा उक्त अपील खारिज होने के आदेश के विरूद्व आज दिन तक प्रतिवादी शिवकुमार की ओर से कोई अग्रीम कार्यवाही आदि नहीं की गयी है ऐसी स्थिति में प्रकरण संख्या 23/95 निर्णय दिनांक 06.12.2000 स्वतः ही यथावत् है। अतः वकील वादीगण द्वारा उक्त प्रकरण संख्या 33/2001 (59/2019) की कार्यवाही को उक्त वर्णित समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर ड्रोप किये जाने तथा प्रकरण का इसी अनुसार निस्तारण किये जाने का आदेश जारी करने का निवेदन किया।

5. न्यायालय हाजा द्वारा वाद संख्या 23/1995 में जारी आदेश व डिक्री दिनांक 06.12.2000 को पुनः स्वतः विचार करने हेतु अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दर्ज प्रकरण संख्या 33/2001 (59/2019) उनवान रामस्वरूप बनाम शिवकुमार में वादी द्वारा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया एवं पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया।

उक्त पत्रावली 33/2001 (59/2019) एवं प्रकरण संख्या 23/1995 एवं उसमें पारित आदेश व डिक्री दिनांक 06.12.2000 का अद्योपान्त अध्ययन किया। अध्ययनोपरान्त प्रकरण संख्या 23/1995 में पारित आदेश व डिक्री दिनांक 06.12.2000 में न्यायालय हाजा को किसी प्रकार की अवैद्यता या अनियमितता प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रकरण संख्या 23/1995 में पारित आदेश व डिक्री दिनांक 06.12.2000 में कोई हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है।

अतः प्रकरण संख्या 33/2001 (59/2019) उनवान रामस्वरूप बनाम शिवकुमार में जारी आदेश दिनांक 09.07.2001 इसी स्तर पर ड्रोप किये जाने के आदेश जारी किये जाते है। [illegible] कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22/03/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.05.05 11:08:53 IST
Reason: SelfAttested

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)